

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973
In the Court of Punjiya Bariva I.M.F.C. dhamno M.P.

Case No.-

Complaint or report made on

Name and Address of Complainant M.P.Govt @ Police Station Dhamnod, M.P.

Name, parents, cast and address of Acused

01. आयुशसिंह पिता एम.पी.सिंह आयु 19 वर्ष निवासी-तहसील कार्यालय धरमपुरी हाल मुकाम वास्तुधाम कॉलोनी धामनोद जिला धार

In offence complained of and date of els alleged commission

1. आपने दिनांक 11/11/19 को करीब 15:30 बजे पुराना ए.बी. रोड वास्तुधाम कॉलोनी के सामने धामनोद लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.11 एम.यु.5708 को यह जानते हुये कि चालक यश के पास वाहन चलाने का वैध बीमा व लाईसेंस नहीं होते हुये उससे वाहन चलवाया।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो धारा 146/196 व धारा 5/180 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

(पुंजिया बारिया)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (If any)-

मुझे आरोप स्वीकार हैं ।

(पुंजिया बारिया)

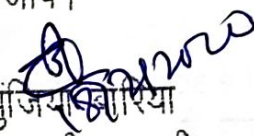
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

The offence proved, if any , and in case under(d) clause (e) clause (f) or clause(g), of sub-Section(i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



(आज दिनांक 18/02/2020 को घोषित किया गया)

- 1- आरोपी केन्द्र धामनोद की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।
- 2- आरोपी को धारा 146/196 व धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध का सारांश तैयार कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा आरोपित अपराध करना स्वेच्छया बिना किसी दबाव के स्वीकार किया गया। स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम व धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के अपराध में दोषी पाया जाकर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त को धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप में 1000/-रूपये व धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के आरोप में 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड कुल 2,000/-रूपये से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 10 दिवस का साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जावे।
- 3- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसके विधिक स्वामी को लौटाया जावे।


पुजियाकारिया
जेएमएफसी, धरमपुरी
जिला-धार मध्यप्रदेश